



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2007/अग्रहायण 14, 1929

No. 230]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2007/AGRAHAYANA 14, 1929

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स

ऑफ़ इण्डिया, कोलकाता

अधिसूचना

कोलकाता, 29 अक्टूबर, 2007

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS
ACCOUNTANTS OF INDIA, KOLKATA

NOTIFICATION

Kolkata, the 29th October, 2007

21-सी डब्ल्यू ए/2007.—दि कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा-संशोधित दि कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 21 की उप-धारा (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टिट्यूट की परिषद् ने दिनांक 22 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी 241वीं बैठक में परिषद् को विरही की प्राप्ति सूचना या शिकायत के संबंध में जांच करने हेतु पदनामित निदेशक (अनुशासन) के रूप में श्री कौशिक बैनर्जी, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक अनुशासन निदेशालय की स्थापना की है।

21-CWA/2007.—In pursuance of sub-section (1) of Section 21 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended by the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006, it is hereby notified that the Council of the Institute at its 241st meeting held on 22nd July, 2007 has established a Disciplinary Directorate headed by Shri Kaushtik Banerjee, Joint Secretary designated as Director (Discipline) for making investigations in respect of any information or complaint received by it.

देवाशीष सागरी, सचिव
[विज्ञापन III/IV/असल/71/2007]

DEBASIS BACCHII, Secy.
[ADVT. III/IV/Exty/71/2007]